File No.ECR-HQ0OPTG(MISC)/10/2020-O/oDy.COM/GEN/HQ/ECR

परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या - 6 /2020

(Operating Safety Alert No. 6/2020)

विषय- दिनांक 27.10.2020 को पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल के हैदरनगर स्टेशन पर Stabled train over run line में Roll down हो गई जिसे कठोरता से अनुपालन करने के सम्बन्ध में।

पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल के हैदरनगर स्टेशन पर दिनांक 01.10.2020 समय- 18 : 07 बजे मालगाड़ी संख्या 4628 GVKK Up Loop में आई और 20 : 00 बजे इसके इंजन को Shut down कर Stable कर दिया गया| पुनः दिनांक 14.10.2020 समय- 06 : 00 बजे इंजन detach किया गया और 06 : 33 बजे सोननगर भेज दिया गया. इसी गाड़ी से दिनांक 27.10.2020 समय- 12 : 50 बजे 11 डिब्बा अलग होकर Over run line में Roll down कर गया. रोल डाउन होने से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी.

Joint Enquiry report मे उल्लिखित निष्कर्ष से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं -

(क) आगे के 06 वैगन का आपरेटिंग हैंडल नहीं कसा गया था.

(ख) आयरन स्किड चक्का के पास नहीं होकर लाइन से दो मीटर की दूरी पर था.

(ग) सेफ्टी चेन टूटा था जो निम्न स्तर का था.

(घ) फुल लोड GVKK (58 BOXNHL + 01 B/Van) से 11 डिब्बा अलग होकर Over Run Line में चला जाना.

(ङ) स्टेशन कर्मचारी का अपने कार्य के प्रति सजग नहीं होना.

नोट- कार्य के प्रति सजग नहीं होने के कारण स्टेशन मास्टर श्री अजय मेहता एवं पोर्टर श्री शम्भू यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा डी & ए नियमों के तहत त्वरित कारवाही किए जाने के आदेश दिए गए हैं|

पूर्व मध्य रेल के **सहायक नियम 5.23 के साथ साथ** सहायक नियम 5.23 के पैरा (6) में उल्लिखित नियम (Stabling Register), सहायक नियम 5.19 (2) (ii) एवं 5.19 (5) (ii) (f) का उपर्युक्त वर्णित दुर्घटना से सीधा सम्बन्ध है जिसे तत्काल सन्दर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत किया गया है -

सहायक नियम 5.23 के पैरा (6) : स्टेशनों पर, जहाँ लोड/ट्रेन स्टेबल किये जाते हैं ऐसे स्टेशनों पर, स्टेबलिंग रजिस्टर का रख-रखाव दिए गए फार्मेट में किया जायेगा.

सहायक नियम 5.19 (2) (ii) : कार्यमुक्त होनेवाले स्टेशन मास्टर /सहायक स्टेशन मास्टर अपना कार्यभार सौंपते समय अपने रिलीफ को व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र के सभी रनिंग लाइनों की स्थिति बताएँगे एवं स्टेशन डायरी में प्रत्येक रनिंग लाइन की वास्तविक स्थिति अवश्य लिखकर सूचित करेंगे. कार्यरत होनेवाले स्टेशन मास्टर /सहायक स्टेशन मास्टर स्टेशन के प्रभार लेने के संकेतस्वरूप हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में तब तक नहीं करेंगे जब तक

कि यह प्रविष्टि नहीं कर दी गई है,

सहायक नियम एवं 5.19 (5) (ii) (f) : पैराग्राफ 03, जहाँ कहीं भी गाड़ी का लोड रनिंग लाइन पर स्टेबल किया जाता है वहाँ स्टेशन मास्टर की डायरी तथा संबंधित गाड़ी सिग्नल एवं लौगबुक में उपर्युक्त प्रविष्ट कर दी जायगी.

अतः सभी मंडलों को निर्देश दिया जाता है कि Load stabling के संबंध में समय-समय पर रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय द्वारा जारी गिए अन्य निर्देशों के साथ साथ उपर्युक्त सावधानियों के प्रति गाड़ी परिचालन से संबंधित कर्मचारियों को सजग एवं सतर्क करने के लिए Counseling Drive चलाएं ताकि उन्हें संरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके।

भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होने पर कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी

SALIL KUMAR JHA Digitally signed by SALIL KUMAR JHA Date: 2020.10.29 15:13:34 +05'30'

(सलिल कुमार झा)

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक

सं0.ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73 /505, दिनांक 27.10.2020

प्रतिलिपः

1. सचिव, महाप्रबंधक /पूमरे, हाजीपुर - महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/ पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवशयक कारवाई हेतु।
3. मण्डल रेल प्रबंधक - धनबाद, दानापुर,डीडीयू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक -धनबाद, दानापुर,डीडीयू, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवशयक कारवाई हेतु।